



हडको भर्ती और पदोन्नति नियम *

* अगस्त, 2025 तक संशोधित

हडको भर्ती और पदोन्नति नियम

1. शीर्षक, प्रारंभ और आवेदन

- 1.1. इन नियमों को "हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भर्ती और पदोन्नति नियम" कहा जाएगा और ये अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।
- 1.2. जब तक इन नियमों में या इनके तहत कोई और प्रावधान न किया गया हो, ये नियम कॉर्पोरेशन या भारत या विदेश सके प्रशासनिक नियंत्रण वाले किसी भी कार्यालय के कामकाज से जुड़ी नियमित पोस्ट पर की गई सभी नियुक्तियों और सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये नियम आकस्मिक या कार्य-शुल्क के आधार पर या विशिष्ट नौकरियों और / या अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे

2. उद्देश्य

- 2.1. इन नियमों का उद्देश्य निगम के कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और वरिष्ठता के मामलों में निष्पक्षता, स्थिरता और एकरूपता सुनिश्चित करना होगा।
- 2.2. कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को उनकी क्षमताओं और संगठन के विकास में उनके योगदान के अनुरूप करियर में आगे बढ़ने के उचित अवसर प्रदान करना।

3. परिभाषाएं

- 3.1. "निगम" का अर्थ है "हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड"
- 3.2. "बोर्ड" का अर्थ है निगम का निदेशक मंडल।
- 3.3. "अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक" का अर्थ है निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति।
- 3.4. "नियुक्ति प्राधिकारी" का अर्थ है वह अधिकारी जिसे बोर्ड और/या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा कॉर्पोरेशन के तहत विभिन्न नियमित पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति करने के लिए अधिकृत और घोषित किया गया हो; यानी कार्यपालकों के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और गैर कार्यपालकों के लिए कार्यकारी निदेशक (मा.सं.)।
- 3.5. "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है वह अधिकारी जिसे बोर्ड और/या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सामान्य या विशिष्ट आदेश के माध्यम से इन नियमों के प्रयोजन के लिए ऐसा घोषित किया गया हो।
- 3.6. "नियमित कर्मचारी" का मतलब है ऐसा कर्मचारी जिसने अपना शुरुआती प्रोबेशन पीरियड सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और उसे इस बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया है।
- 3.7. "चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति" से वह समिति अभिप्रेत है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति/पदोन्नति के प्रयोजन के लिए गठित की गई हो।
- 3.8. "स्क्रीनिंग समिति" से पदों को भरने के लिए विज्ञापन के खिलाफ प्राप्त आवेदनों की जांच करने के उद्देश्य से गठित समिति से है।

4. पदों का वर्गीकरण

4.1. वेतनमान

हुडको में वेतनमान औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न पर हैं और जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा नहीं बदला जाता है, तब तक उन्हें निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा: -

ग्रुप 'ए'

(कार्यपालक)

स्तर	प्रभावी.1.1.2017
ई-9	150000-3%-300000
ई-8	120000-3%-280000
ई-7	100000-3%-260000
ई-6	90000-3%-240000
ई-5	80000-3%-220000
ई-4	70000-3%-200000
ई-3	60000-3%-180000
ई-2	50000-3%-160000
ग्रुप 'बी'	ई-1 40000-3%-140000

(पर्यवेक्षी स्तर के अधिकारी)

स्तर	प्रभावी.1.1.2017
ई-0	30000-3%-120000

ग्रुप 'सी'

(गैर कार्यपालक)

स्तर	प्रभावी.1.1.2017
एनई-5	26000-3%-87000
एनई-4	24000-3%-80000
एनई-3	22000-3%-75000

ग्रुप 'डी'

(गैर कार्यपालक)

स्तर	प्रभावी.1.1.2017
एनई-2	21000-3%-70000
एनई-1	19500-3%-65000

वेतनमान को कार्यालय आदेश संख्या 105/2018 और 106/2018 दिनांक 06.02.2018 के माध्यम से 01.01.2017 से संशोधित किया गया है

4.2. संवर्ग

इन नियमों के प्रयोजन के लिए, निगम के कर्मियों को कार्यकारी और गैर-कार्यकारी समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा जैसा कि ऊपर बताया गया है। प्रत्येक समूह के भीतर, विभिन्न विषयों के कर्मियों के अलग-अलग संवर्ग और उप संवर्ग (जहां भी निर्दिष्ट हैं) होंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:

कार्यपालक

निगम के अधिकारियों को निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा:

4.2.1. परियोजना संवर्ग में निम्नलिखित विषयों के अधिकारी शामिल होंगे:

- क) **परियोजनाएं**- सिविल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / केमिकल इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, एप्लाइड इकोलॉजी और एनवायरनमेंटल साइंसेज, वैल्यूएशन (केवल सिविल इंजीनियरिंग / आर्किटेक्चर डिग्री वाले) और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलकर
- ख) **सामुदायिक विकास**- सामुदायिक विकास और समाजशास्त्र से मिलकर (वर्तमान हुडको संचालन को ध्यान में रखते हुए, ऐसी योग्यता वाले लोगों की भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, भविष्य की भर्ती बंद कर दी जाएगी।

4.2.2. वित्त संवर्ग में वित्त और विशेष क्षेत्रों जैसे ट्रेजरी, फॉरेक्स, अकाउंट्स, ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट के कार्यकारी शामिल होंगे।

4.2.3. मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशासन कैडर में निम्नलिखित क्षेत्रों के अधिकारी शामिल होंगे।:-

- क) क) कार्मिक और प्रशासन संवर्ग, जिसमें कार्मिक, प्रशासन और एस्टेट प्रबंधन के क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारी शामिल हैं।
- ख) (i) **सचिवीय सेवा संवर्ग (अंग्रेज़ी)** में ई-4 और ई-5 लेवल के असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और अंग्रेज़ी भाषा के असिस्टेंट मैनेजर शामिल होंगे।
(ii) **सचिवीय कैडर (हिंदी)** में असिस्टेंट जनरल मैनेजर (E-4 लेवल), सीनियर मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और राजभाषा (हिंदी) के असिस्टेंट मैनेजर शामिल होंगे।
- ग) **सामान्य सेवाएं** कॉर्पोरेट संचार और राजभाषा भाषा के कर्मियों को कवर करना

4.2.4. विधि संवर्ग और कंपनी सचिवालय संवर्ग

- क) विधि संवर्ग- कानून के अनुशासन में अधिकारियों को शामिल किया जाएगा
- ख) कंपनी सचिवालय संवर्ग में कंपनी सचिव की पेशेवर योग्यता रखने वाले अधिकारी शामिल होंगे

4.2.5. सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग में प्रबंधन सूचना प्रणाली, सॉफ्टवेयर विकास, आईएसओ, सीआईएसओ, कंप्यूटर रखरखाव के अनुशासन में अधिकारी शामिल होंगे।

4.2.6. अर्थशास्त्र संवर्ग में अर्थशास्त्र के अनुशासन में अधिकारी शामिल होंगे।

गैर कार्यपालक

- 4.2.7. तकनीकी, प्रणाली, सचिवीय (अंग्रेज़ी और राजभाषा) के अलावा अलग-अलग स्वतंत्र धारा हैं। गैर कार्यपालकों को उनकी विशेषज्ञता की धाराओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा और निम्नलिखित प्रमुखों के तहत सहायता संवर्ग के रूप में बुलाया जाएगा।

1. तकनीकी सहायता- सिविल इंजीनियरिंग/आर्किटेक्चर/ड्राफ्ट्समैन (3 साल के डिप्लोमा धारक)
2. **आईटी समर्थन-** इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर,
3. प्रशासनिक सहायता - रिसेप्शनिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर, सहायक ग्रेड, देव. आदि,
4. वित्त सहायता - सहायक ग्रेड (लेखा) (बी.कॉम स्ट्रीम)
5. सचिवीय सहायता (OL) – आशुलिपिक (हिंदी)
6. सेक्रेटेरियल (इंग्लैंड) - स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)
7. राजभाषा – हिंदी अनुवादक

पी एंड ए कैडर में ई-0 अधिकारियों को सहायक अधिकारी ग्रेड II के रूप में नामित किया जाएगा।

रिसेप्शन अधिकारी, जो वर्तमान में ई-4 स्तर पर कार्य कर रहे हैं, पी और ए संवर्ग का हिस्सा होंगे और आगे की पदोन्नति लागू नियमों के अनुसार शामिल होगी।

4.2.8. सामान्य सेवा संवर्ग में निम्नलिखित उप संवर्ग शामिल होंगे।

कुशल

ड्राइवर

इलेक्ट्रीशियन

अकुशल

चौकीदार/माली

सामान्य [सहायक/परिचालक पराश अब मल्टी टास्किंग

एटाफ (एमटीएस) डैफ्ट्री]

4.2.9. संबंधित संवर्गों की वरिष्ठता सूची में पहले से घोषित सभी मौजूदा अधिकारी एक ही कैडर में बने रहेंगे, जब तक कि अधिकारी बदलाव का विकल्प नहीं चुनते। कैडर में परिवर्तन की अनुमति प्रबंधन द्वारा हुडको में सेवा में ई-3 स्तर तक केवल एक बार दी जाएगी, बशर्ते कि संबंधित संवर्गों के संबंधित विभागाध्यक्षों के परामर्श से एचआरएमए द्वारा मूल्यांकन किया जाना आवश्यक हो। तथापि, नेतृत्व स्तर पर पदोन्नति के लिए सभी पात्र जेजीएम/जीएम/ईडी के बीच एक समान वरिष्ठता तैयार की जाएगी, चाहे वह किसी भी संवर्ग का हो। विभिन्न संवर्गों के बीच सामान्य वरिष्ठता प्राप्त करने का मानदंड स्केल/ग्रेड की अवधि यानी अंतिम पदोन्नति तिथि पर आधारित होगा। हालांकि, अगर कर्मचारियों के बीच कोई टाई है तो वरिष्ठता स्थापित करने के लिए हुडको में सेवा अवधि यानी हुडको में शामिल होने की तारीख को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा, यदि दोनों मामलों में फिर से टाई होती है, तो अधिक आयु (जन्म तिथि) वाले कर्मचारी को ग्रेड में वरिष्ठ माना जाएगा।

5. **संशोधन** - ये नियम निदेशक मंडल के पूर्व अनुमोदन से निगम की जरूरतों के आधार पर संशोधनों के अधीन हैं। सभी संशोधनों को आधिकारिक संचार और हुडको वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।
6. **व्याख्या** - इन नियमों से उत्पन्न होने वाले विवाद के किसी भी बिंदु की व्याख्या के लिए सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होंगे। ऐसे सभी मुद्दों की जानकारी के लिए बोर्ड को सूचित किया जाएगा।
7. **पदों का आरक्षण और आयु सीमा और अनुभव में छूट** - भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग और अन्य श्रेणियों के लिए पदों के आरक्षण और आयु सीमा में छूट के संबंध में केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया जाएगा। पद / कैडर वार रोस्टर बनाए रखा जाएगा

8. **भर्ती / पदोन्नति के लिए कोटा** - उच्च स्तर पर सामान्य रूप से होने वाले विशेष पदों के मामले में और जहां कोई आंतरिक प्रतिभा उपलब्ध नहीं है, प्रबंधन सीधी भर्ती के माध्यम से पद भर सकता है। हालांकि, ऐसा करते समय, नहीं। किसी विशेष स्तर/संवर्ग में पदों की संख्या सीधी भर्ती के लिए अनुमत कोटे से अधिक नहीं होगी। सीधी भर्ती कोटे के तहत पदों को उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता के अधीन पदोन्नति के माध्यम से भरा जा सकता है। हालांकि, ई-1 स्तर पर सीधी भर्ती के लिए कोटा अपरिवर्तित रहेगा।

9. चयन/विभागीय पदोन्नति समिति का गठन

चयन/विभागीय पदोन्नति समितियों का गठन निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार होगा:

<u>स्तर</u>	<u>चयन/विभागीय पदोन्नति समिति</u>
एनई-1 से एनई-2	1. ईडीएच/एचआरएमए विंग के प्रमुख। 2. एक ईडी/एचओडी को सीएमडी द्वारा नामित किया जाएगा। 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं के प्रतिनिधि।
एनई-3 से ई-0	1. ईडीएच/एचआरएमए विंग के प्रमुख। 2. दो ईडी/एचओडी को सीएमडी द्वारा नामित किया जाएगा। 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं के प्रतिनिधि।
ई-1 से ई-5	1. सीएमडी द्वारा एक कार्यात्मक निदेशक/वरिष्ठ ईडी नामित किया जाएगा। 2. विभागाध्यक्ष 3. ईडीएच/एचआरएमए विंग के प्रमुख। 4. बाहरी कार्यात्मक विशेषज्ञ (केवल भर्ती के लिए) 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं के प्रतिनिधि।
ई-6 से ई-7	1. सीएमडी 2. दोनों कार्यात्मक निदेशक 3. बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले हुडको के बोर्ड में या तो एक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक को नामित किया जाएगा 4. सीएमडी द्वारा इस क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञों को नामित किया जाएगा 5. सीएमडी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं के प्रतिनिधियों को नामित किया जाएगा
ई-7 से ई-9	1. सीएमडी 2. दोनों कार्यात्मक निदेशक 3. बोर्ड द्वारा एक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक को नामित किया जाएगा 4. एक सरकारी निदेशक या सरकार/मंत्रालय का प्रतिनिधि/नामिती 5. बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं के प्रतिनिधि 6. किसी भी अनुसूची से एक बाहरी विशेषज्ञ - ' ए ' कं प नी / वि ती य संस्थान, डीएफआई (वरिष्ठ ईडी के लिए बाहरी विशेषज्ञ सेवानिवृत्त सीएमडी/निदेशक सहित सीएमडी/निदेशक हो सकते हैं)

सीएमडी पहले से गठित समिति के अलावा आवश्यकतानुसार भर्ती/पदोन्नति के लिए चयन समिति में किसी अन्य सदस्य को नामित कर सकता है।

ईडी (एचआर) / एचओडी (एचआर) चयन समिति की सहायता करेंगे।

10. 100000-3%-260000 रुपये और उससे अधिक के वेतनमान में महाप्रबंधक स्तर के पदों पर नियुक्तियों के लिए चयन समिति की सिफारिशों और कार्यकारी निदेशक और उससे ऊपर के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों को लागू करने से पहले बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
11. **पैनल वैधता** - चयन समिति की सिफारिशों पर भर्ती के लिए तैयार किया गया पैनल गठित होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। असाधारण परिस्थितियों में, बोर्ड की मंजूरी से पैनल को छह महीने की अवधि के लिए फिर से वैध किया जा सकता है। पदोन्नति के मामले में पैनल की वैधता छह महीने की होगी यानी उस वर्ष के 31 दिसंबर तक या डीपीसी आयोजित करने की तारीख तक, जो भी पहले हो।
12. **परिवीक्षा**
- क. वेतन के एक उच्च पैमाने में एक पद पर नियुक्ति और पदोन्नति पर एक कर्मचारी क्रमशः एक वर्ष और छह महीने की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा और परिवीक्षाधीन अवधि के सफल समापन पर और नियुक्ति पत्र / शक्ति आदेश की पेशकश में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने पर पुष्टि की जाएगी। परिवीक्षाधीन की पुष्टि करने या परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने का निर्णय, जैसा भी मामला हो, 3 महीने के भीतर परिवीक्षाधीन को सूचित किया जाना चाहिए। परिवीक्षा की अवधि पूरी होने के बाद परिवीक्षाधीन की पुष्टि स्वचालित नहीं है, लेकिन औपचारिक आदेशों के बाद किया जाना है। हालांकि, परिवीक्षा की कुल अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। पदोन्नति पर परिवीक्षा संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगी, परिवीक्षा की मंजूरी के लिए कोई सतर्कता मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।
- ख. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है या उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो। एक कर्मचारी को अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी करने वाला माना जाएगा, केवल तभी जब उसे लिखित रूप में सूचित किया जाए।
- ग. स्थायी/तत्काल अवशोषण के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर शामिल किए गए कर्मचारियों को पहली नियुक्ति के मामले में निगम में एक पद पर प्रारंभिक प्रवेश पर एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

भर्ती

13. भर्ती के स्रोत

13.1. ग्रुप ए और ग्रुप बी

क. विज्ञापन के माध्यम से खुले बाजार से सीधी भर्ती।

ख. केंद्र/राज्य सरकारों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, नियामक निकायों, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित/स्वायत्त निकायों से प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति लेने से पहले प्रशासनिक मंत्रालय/डीपीई से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

ग. केंद्र/राज्य सरकारों, नियामक निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित/स्वायत्त निकायों से स्थायी/तत्काल अवशोषण के आधार पर समावेश। प्रतिनियुक्ति लेने से पहले प्रशासनिक मंत्रालय/डीपीई से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

13.2. गुप सी

क. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से सीधी भर्ती।

ख. यदि रोजगार कार्यालय निर्धारित अवधि के भीतर उम्मीदवारों को प्रायोजित करने में विफल रहता है तो विज्ञापन के माध्यम से खुला बाजार तैयार किया जाएगा।

ग. केंद्र/राज्य सरकारों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, नियामक निकायों, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित/स्वायत्त निकायों से प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति लेने से पहले प्रशासनिक मंत्रालय/डीपीई से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

घ. केंद्र/राज्य सरकारों, नियामक निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित/स्वायत्त निकायों से स्थायी/तत्काल अवशोषण के आधार पर समावेश। प्रतिनियुक्ति लेने से पहले प्रशासनिक मंत्रालय/डीपीई से एनओसी प्राप्त की जाएगी

13.3. गुप डी

क. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से सीधी भर्ती।

ख. यदि रोजगार कार्यालय एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उम्मीदवारों को प्रायोजित करने में विफल रहता है तो विज्ञापन के माध्यम से खुला बाजार तैयार किया जाएगा।

14. भर्ती के तरीके और सिद्धांत

14.1. भर्ती सभी स्तरों पर बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बाद और भर्ती के लिए पद पर पदोन्नति के लिए उपलब्ध आंतरिक उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने के बाद की जाएगी। बोर्ड नोट में विस्तृत नौकरी विवरण, खुले बाजार के माध्यम से शामिल होने के मामले में बाहरी एजेंसी को किराए पर लेना/छोटी रिक्तियों के मामले में आंतरिक तंत्र के माध्यम से, परीक्षा पत्रों की स्थापना के तौर-तरीके शामिल होंगे। हालांकि, बुनियादी योग्यता दोनों आवश्यक और पसंदीदा, आयु, अनुभव के संदर्भ में नहीं। पद योग्यता अनुभव के रूप में वर्षों और कार्यकारी और गैर-कार्यकारी के रूप में, प्रकृति और तत्काल निचले पैमाने पर अनुभव अनुलग्नक 'बी' और 'सी' के रूप में होगा।

14.2. बाहर से सीधी भर्ती

14.2.1. आवेदन समय-समय पर लागू डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार रोजगार समाचार में विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे, प्रमुख समाचार पत्र पद की प्रकृति और कर्तव्यों, वेतनमान, योग्यता, अनुभव, आयु सीमा, और अन्य प्रासंगिक जानकारी आदि के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। आयु की गणना विज्ञापन में विशेष रूप से उल्लिखित तिथि से की जाएगी। कार्यकारी पदों के लिए, विज्ञापन अखिल भारतीय आधार पर होगा और विज्ञापन हुडको की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा।

14.2.2. निगम के मौजूदा कर्मचारी, जो निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, विज्ञापित पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आंतरिक उम्मीदवारों को पांच साल तक की आयु में छूट उपलब्ध होगी। तत्काल निचले पैमाने में अनुभव बाहरी और साथ ही आंतरिक उम्मीदवारों के लिए कम से कम 1 वर्ष है, ई-1 और ई -9 को छोड़कर। आरक्षित वर्ग के लिए आयु में छूट उपरोक्त के अतिरिक्त होगी।

14.2.3. चयन चयन समिति द्वारा लिखित प्रतियोगी परीक्षा और / या साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। चयन समिति चयनित उम्मीदवारों की योग्यता के क्रम में एक पैनल तैयार करेगी

14.2.4. नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति द्वारा अनुशंसित योग्यता के क्रम में नियुक्तियां करेगा

14.2.5. जांच समिति की भूमिका

(i) एक विशिष्ट अधिसूचना / विज्ञापन के खिलाफ प्राप्त सभी आवेदनों को मानव संसाधन विभाग द्वारा प्रारंभिक जांच के अधीन किया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि:

क) आवेदन विधिवत पूरे किए जाते हैं और निर्धारित आवेदन शुल्क, यदि कोई हो, के साथ और अनुमत समय सीमा के भीतर प्राप्त किए गए थे।

ख) आवेदकों की आयु निर्धारित सीमा के भीतर है।

ग) बुनियादी योग्यता और कुल संख्या। अनुसंधान एवं उत्पादन नियमों के अनुसार विज्ञापन में निर्धारित वर्षों का अनुभव।

घ) आवेदन 'उचित चैनल के माध्यम से' जहां आवश्यक हो या साक्षात्कार के समय /शामिल होने से पहले एनओसी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

ङ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक आदि के उम्मीदवारों के मामले में आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है।

(ii) उपरोक्त के रूप में प्रारंभिक जांच के बाद निर्धारित आवश्यकता को पूरा करने वाले आवेदनों को सूचीबद्ध किया जाएगा और आगे की जांच के लिए भर्ती के स्तर के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी को अग्रणी किया जाएगा, जिसमें केवल उन उम्मीदवारों के लिए परीक्षण / साक्षात्कार के लिए चयन किया जाएगा, जिन्हें रिक्तियों के विज्ञापन / अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक विशिष्ट पद के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान और पेशेवर विशेषज्ञता की प्रकृति और गुणवत्ता के संदर्भ में उपयुक्त माना जाता है।

(iii) आवेदनों की अंतिम जांच के बाद, मानव संसाधन विभाग स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए और बोर्ड द्वारा अनुमोदित योग्य उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करेगा।

(iv) जांच समिति का गठन

i. वरिष्ठ ईडी/कार्यकारी निदेशक: संबंधित कार्यात्मक निदेशक की अध्यक्षता में और संबंधित कार्यात्मक निदेशक की अनुपलब्धता के मामले में, सीएमडी मौजूदा कार्यात्मक निदेशक (निदेशकों) और 2 वरिष्ठ ईडी/ईडी में से नामित कर सकते हैं।

ii. महाप्रबंधक और उससे नीचे: जांच समिति में 3 ईडी/एचओडी होंगे जिन्हें सीएमडी द्वारा नामित किया जाएगा।

स्क्रीनिंग कमेटी यह सत्यापित करेगी कि आवेदक निर्धारित मापदंडों के अनुसार योग्य हैं या नहीं। रिक्तियों का विज्ञापन/अधिसूचना। आवेदकों की उच्च संख्या को

संभालने के लिए शॉर्टलिस्टिंग की जानी है, अनुभव, योग्यता आदि के लिए वेटेज निम्नानुसार होगा: -

शॉर्टलिस्टिंग के लिए वेटेज के मानदंड इस प्रकार होंगे:

@40% - आवश्यक योग्यता के लिए

@20% - पसंदीदा योग्यता के लिए, यदि कोई हो

@40% - विज्ञापन/अधिसूचनाओं के अनुसार अनुभव की प्रकृति और प्रासंगिकता के संदर्भ में उपयुक्त

14.2.6. सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार और चयन समिति की भूमिका

14.2.6.1. उपरोक्त खंड 14.2.5 (iv) में उल्लिखित शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एक निर्धारित चयन प्रक्रिया से गुजरने के लिए बुलाया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं

क. चयन समिति के समक्ष एक साक्षात्कार, या

ख. चयन समिति के समक्ष सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद एक लिखित परीक्षा;

या

एक उन्मूलन परीक्षा के बाद केवल उन लोगों की चयन समिति के समक्ष एक साक्षात्कार होगा जो परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं (उपरोक्त प्रक्रिया ई -1 स्तर तक अनिवार्य होगी और उच्च स्तर के लिए यह बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा)।

14.2.6.1. (क) गैर-कार्यकारी पदों (ग्रुप सी और ग्रुप डी) में भर्ती के लिए साक्षात्कार को बंद करना।

14.2.6.2. कॉल लेटर में अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्ट रूप से पोस्ट और ग्रेड बताया गया है जिसके लिए उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा और अन्य औपचारिकताएं जो साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों द्वारा पालन करने की आवश्यकता होगी, उन्हें पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से या पोस्टिंग के प्रमाण पत्र (यूपीसी) के तहत भेजा जाएगा, साक्षात्कार की तारीख से 15 स्पष्ट दिनों के बाद नहीं।

14.2.6.3. मानव संसाधन विभाग चयन समिति के सदस्यों को साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के बारे में निम्नलिखित दस्तावेज और विवरण उपलब्ध कराएगा:

क. विशिष्ट आवश्यकताओं और पदों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ विज्ञापन/अधिसूचना की एक प्रति

ख. प्रत्येक उम्मीदवार का बायोडाटा

ग. मूल में आवेदन

घ. आंतरिक उम्मीदवारों के मामले में मूल्यांकन रिपोर्ट और अग्रेषण प्राधिकारी

की टिप्पणियां

- ड. सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के उम्मीदवारों के मामले में विज्ञापन में उल्लेख किए गए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, जिनके आवेदन उचित चैनल के माध्यम से अग्रेषित किए गए हैं, जहां भी आवश्यक हो, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट
- च. साक्षात्कार से पहले आयोजित परीक्षण/उन्मूलन परीक्षण के परिणाम, यदि कोई हो
- छ. चयन समिति के साथ साझा की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के कार्यवृत्त की एक प्रति

14.2.6.4. चयन प्रक्रिया शुरू करने के अलावा, चयन समिति में मानव संसाधन विभाग के प्रतिनिधि के पास निम्नलिखित विशिष्ट जिम्मेदारियां होंगी:-

- क. चयन समिति की कार्यवाही की शुरुआत में वह सदस्यों को आम तौर पर प्रत्येक पद के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं, जिम्मेदारियों और पारिश्रमिक, तत्काल और आगे की आवश्यकताओं के लिए चुने जाने वाले और सूचीबद्ध किए जाने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुमानित संख्या और एक रिक्ति के लिए 5 उम्मीदवारों के सामान्य मानदंड पर चयन से संबंधित किसी भी अन्य मामले के बारे में जानकारी देगा।
- ख. वह प्रारंभिक वेतन, ग्रेड, वरिष्ठता, स्थिति, शामिल होने के लिए अनुमत समय आदि सहित शर्तों की बातचीत में समिति की सहायता करेगा, और भत्ते, लाभ, सुविधाओं, कैरियर की संभावनाओं, सेवा नियमों और अन्य संबद्ध मामलों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करेगा, जब भी किसी भी उम्मीदवार द्वारा मांगा जाएगा।

14.2.6.5. योग्यता, अनुभव, परीक्षणों के परिणाम, यदि कोई और अन्य प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पदों की विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ-साथ और तकनीकी कौशल, पेशेवर क्षमता और समग्र व्यक्तित्व कारकों के मानक के आधार पर, जैसा कि साक्षात्कार में उम्मीदवारों के प्रदर्शन से मूल्यांकन किया गया है, चयन समिति उपयुक्त समझे जाने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को मार्कशीट में अंतिम प्रतिशत अंक प्रदान करेगी और ऐसे सभी उपयुक्त उम्मीदवार के नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी इस प्रकार सौंपे गए अंकों के आधार पर योग्यता के क्रम में। परीक्षण और या साक्षात्कार के स्कोर के असाइनमेंट अनुमोदन के लिए बोर्ड नोट का हिस्सा होंगे। बशर्ते कि जब दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें उनकी जन्मतिथि के कालानुक्रमिक क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा, उनमें से सबसे पुराने को पहले स्थान पर रखा जाएगा।

14.2.6.6. उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की अपनी सिफारिशें करते समय, चयन समिति जहां भी उपयुक्त हो, निम्नलिखित का विशेष उल्लेख कर सकती है:

- क. उन मामलों में मूल वेतन शुरू करने की राशि जहां प्रारंभिक वेतन ग्रेड के न्यूनतम से ऊपर निर्धारित किया जाना है
- ख. उन मामलों में मूल वेतन शुरू करने की राशि जहां प्रारंभिक वेतन ग्रेड के न्यूनतम से ऊपर निर्धारित किया जाना है
- ग. चयन समिति को पांच वेतन वृद्धि तक की सिफारिश करने की अनुमति दी जाएगी

14.3. प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती/ स्थायी अवशोषण

14.3.1. प्रतिनियुक्ति / स्थायी अवशोषण द्वारा किसी भी पद को भरने के लिए, संबंधित संगठनों को पद की प्रकृति और कर्तव्यों, वेतनमान, योग्यता, अनुभव, आयु सीमा और अन्य प्रासंगिक जानकारी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले नामों के एक पैनल के लिए संपर्क किया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक मंत्रालय/डीपीई की पूर्व अनुमति होनी चाहिए।

14.3.2. चयन अधिकारियों की गोपनीय वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा और यदि आवश्यक समझा जाता है, तो साक्षात्कार भी होगा। स्थायी आमेदन के आधार पर शामिल होने वाले कर्मचारियों के संबंध में मूल विभाग से सतर्कता मंजूरी प्राप्त की जा सकती है।

14.4. प्रशिक्षु अधिकारियों की भर्ती

क. विज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न विषयों में ई-1 स्तर पर प्रशिक्षु अधिकारियों की नियुक्ति करके ग्रुप ए के प्रेरण स्तर पर भर्ती की जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन शामिल होगा।

विभिन्न विषयों के लिए योग्यता ई -1 स्तर के लिए अनुसूची (अनुलग्नक "सी") में निर्धारित के रूप में किया जाएगा

ख. प्रशिक्षु अधिकारियों की भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की जाएगी।

प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की होगी। प्रशिक्षण अवधि के सफल समापन के बाद और साक्षात्कार उत्तीर्ण करने पर, उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर अपने संबंधित संवर्ग में ई-1 स्तर के नियमित वेतनमान में रखा जाएगा। यदि प्रशिक्षु अधिकारी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो प्रशिक्षण अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसमें विफल रहने पर प्रशिक्षु अधिकारी की सेवा को बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

लेटरल एंट्री के लिए एआईसीटीई/यूजीसी आदि मानदंडों के अनुसार अंशकालिक नियमित पाठ्यक्रम की योग्यता पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, इंडक्शन स्तर के लिए यह पूर्णकालिक/अंशकालिक नियमित डिग्री होगी। आंतरिक उम्मीदवार के लिए अंशकालिक नियमित डिग्री को इंडक्शन स्तर (यानी ई -1) के लिए माना जाएगा। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पत्राचार/डाक के माध्यम से प्राप्त डिग्री पर विचार नहीं किया जाएगा।

ई-2 स्तर के पदों (20600-3% -46500 रुपये) में पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए चार साल की अवधि का काम करने के उद्देश्य से, प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में बिताई गई एक वर्ष की अवधि को भी ग्रेड में योग्यता अवधि के रूप में ध्यान में रखा जाएगा।

- ग. विभिन्न इंजीनियरिंग धाराओं के लिए अखिल भारतीय स्तर पर लिखित परीक्षा आयोजित करने के स्थान पर गेट स्कोर का विकल्प होना चाहिए। उम्मीदवारों को 1:5 के अनुपात में बुलाया जा सकता है। उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार करने के लिए गेट स्कोर/लिखित परीक्षा को 80% वेटेज और साक्षात्कार के लिए 20% वेटेज दिया जाएगा।

इसी तरह, लॉ स्ट्रीम के लिए सीएलएटी (पीजी) स्कोर पर विचार किया जा सकता है और अन्य विषयों के लिए जहां गेट/सीएलएटी स्कोर लागू नहीं होता है, तो व्यक्तिगत साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

सीए की भर्ती कैंपस भर्ती के माध्यम से उत्तर, दक्षिण, पूर्व/उत्तर पूर्व, पश्चिम क्षेत्रों में विभिन्न सीए अध्यायों में जाकर भी की जा सकती है ताकि अखिल भारतीय कवरेज हो सके

14.5. भर्ती के समय उच्च शुरुआत।

चयन समिति पद पर लागू पैमाने में एक उच्च शुरुआत (पांच वेतन वृद्धि से अधिक नहीं) की सिफारिश कर सकती है।

- 14.6. **आयु** - निगम में नियुक्ति के समय उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा इन नियमों में दर्शाई गई है।

14.7. फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र; पात्रों और पूर्ववृत्तों का सत्यापन

निगम में शामिल होने के तुरंत बाद, एक कर्मचारी को निगम या सरकारी अस्पताल के चिकित्सा सलाहकार द्वारा एक चिकित्सा परीक्षण के अधीन किया जाएगा और संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा उसके चरित्र और पूर्ववृत्त को सत्यापित किया जाएगा। किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से लिए गए कर्मचारी के लिए किसी नए सिरे से चिकित्सा परीक्षा या चरित्र के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी यदि उसकी चिकित्सकीय जांच की गई थी और उसे फिट पाया गया था या उसके चरित्र को सत्यापित किया गया था और उसके पहले के रोजगार में संतोषजनक पाया गया था। हालांकि, इसकी प्रतियां ऐसे पिछले नियोक्ता से प्राप्त की जाएंगी।

प्रारंभिक परिवीक्षा अवधि की मंजूरी के लिए निगम या सरकारी अस्पताल के चिकित्सा सलाहकार से फिटनेस का एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन पर एक रिपोर्ट आवश्यक होगी।

15. पदोन्नति के तरीके और सिद्धांत

निम्नलिखित के अनुसार पदोन्नति के तीन तरीके हैं:

1. ई-0 स्तर तक वरिष्ठता सह फिटनेस के आधार पर पदोन्नति
2. ई-1 से ई-3 में वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति
3. चयन द्वारा पदोन्नति (साक्षात्कार आधारित) ई -3 से ई -4 और ऊपर के लिए योग्यता के आधार पर

- 15.1. जब किसी भी ग्रेड में रिक्तियां होती हैं, तो उन्हें कर्मचारियों की श्रेणी के लिए इन नियमों में निर्धारित योग्यता या वरिष्ठता या दोनों के आधार पर अगले निचले ग्रेड में नियमित कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। तराजू कूदने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 15.2. सीधी भर्ती आम तौर पर एक कैडर के निम्नतम ग्रेड के लिए की जाएगी, जिसे इंडक्शन लेवल कहा जाता है। उच्च ग्रेड में पदों को आम तौर पर फीडर कैडर से पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा, जो पदों और पात्र कर्मचारियों की उपलब्धता के अधीन है। यदि पात्र कर्मचारी उच्च पदों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्तियों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जा सकता है। हालांकि, ऐसा करते समय, नहीं। किसी विशेष स्तर/संवर्ग में पदों की संख्या सीधी भर्ती के लिए अनुमत कोटे से अधिक नहीं होगी।
- 15.3. नियुक्ति प्राधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित योग्यता के क्रम में पदोन्नति करेगा।
- 15.4. वर्ष में एक बार डीपीसी की बैठक आयोजित करना, जिसमें जून-अगस्त में दोनों कट-ऑफ तिथियों (यानी जून और दिसंबर के वर्तमान चक्र) को शामिल किया जाता है।
- 15.5. हुडको के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को विभिन्न बैंड/श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है नामत सहायता सहायता (गैर-कार्यकारी), पर्यवेक्षी (ई-0), कार्यकारी (जिसमें उप प्रबंधक, प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक), प्रबंधकीय (जिसमें सहायक शामिल हैं। जनरल मैनेजर डिप्टी जनरल मैनेजर और संयुक्त महाप्रबंधक) और लीडरशिप बैंड (जिसमें जीएम, ईडी और सीनियर ईडी शामिल हैं) शामिल हैं। जनशक्ति संख्या को बैंड के अनुसार अनुमोदित भी कर दिया गया है। जब भी वे विचारणीय क्षेत्र में होते हैं और डीपीसी द्वारा पदोन्नति के लिए सिफारिश की जाती है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित होते हैं, तो बैंड के भीतर कार्यपालक आते हैं। जब कभी एक बैंड से दूसरे बैंड में पदोन्नति होनी होती है, तो रिक्ति की उपलब्धता की आवश्यकता होती है, ऐसे मामले में पदोन्नति उच्च बैंड में रिक्ति की उपलब्धता के अधीन होगी। सीएमडी को ई-7 और ई-8 (जीएम और ईडी) के पदों का विनिमेय तरीके से उपयोग करने के लचीलेपन के लिए अधिकृत किया गया है। हालांकि, लीडरशिप बैंड (ई-7 और ई-8 स्तर) में 63 पदों (19 ईडी और 44 जीएम) की अधिकतम सीमा बनाए रखी जाएगी और किसी भी समय 19 से अधिक कार्यकारी निदेशक नहीं होने चाहिए।
- 15.6. सरकारी नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति, अध्ययन अवकाश, लंबी छुट्टी आदि जैसे मामलों में प्रोफार्मा पदोन्नति
- 15.7. गैर-चिकित्सा कारणों से 3 महीने से अधिक और चिकित्सा आधार पर 6 महीने से अधिक की असाधारण छुट्टी को टूटे हुए समय में भी पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि के लिए नहीं गिना जाएगा
- 15.8. पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार के निर्देशों को कार्यकारियों/गैर-कार्यपालकों की पदोन्नति करते समय ध्यान में रखा जाएगा।
- 15.9. ग्रहणाधिकार रिक्ति का उपयोग पदोन्नति के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
- 15.10. 1 जनवरी को या उससे पहले नए सिरे से हुडको में शामिल होने वाले कर्मचारियों को भी उस मूल्यांकन वर्ष के लिए एपीएआर स्कोर का क्रेडिट दिया जाएगा, जिसे पदोन्नति के उद्देश्य से हिसाब किया जाएगा।

16. अधिकारियों की पदोन्नति

- 16.1 ई -3 स्तर (60000-3% -180000) और ऊपर से पदोन्नति निम्नलिखित मैट्रिक्स के अनुसार योग्यता के आधार पर चयन (साक्षात्कार आधारित) द्वारा किया जाएगा।

ई-3 से ई-4 के लिए

घटक	अधिकतम स्कोर
एपीएआर# + वरिष्ठता**	18
साक्षात्कार	12
कुल	30

आवश्यक न्यूनतम सेवा 3 वर्ष है

साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले न्यूनतम संचयी एपीएआर स्कोर

15 कुल कट ऑफ स्कोर – 23

#अधिकतम 18 अंकों का स्कोर ग्रेड में सर्वश्रेष्ठ तीन एपीएआर के आधार पर होगा। (यदि कर्मचारी के पास पहले से ही सर्वश्रेष्ठ 3 एपीएआर के आधार पर 18 अंक हैं, तो वरिष्ठता के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा)

** 4 वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधा अंक (1/2), अधिकतम 2 अंक तक

ई-4 से ई-5 तथा ई-5 से ई-6 के लिए

ई-4 से ई-5 स्तर और ई-5 से ई-6 स्तर पर पदोन्नति योग्यता के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी।

संयुक्त मूल्यांकन प्रणाली के निम्नलिखित दो घटक होंगे:

क. वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अंक

ख. साक्षात्कार अंक

घटक	अधिकतम अंक
एपीएआर* + वरिष्ठता**	24
साक्षात्कार	16
कुल	40

आवश्यक न्यूनतम सेवा 4 वर्ष है

साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले न्यूनतम संचयी एपीएआर स्कोर -20 कुल कट ऑफ स्कोर – 31

समग्र कटऑफ स्कोर 31 अंक होगा (कट ऑफ स्कोर न्यूनतम पात्र स्कोर को संदर्भित करता है जो एजीएम के पद पर पदोन्नति के लिए साक्षात्कार स्कोर को शामिल करने के बाद योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के पैनल के लिए विचार किया जाना चाहिए और ई -6 स्तर तक)

** 4 वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधा अंक (1/2), अधिकतम 2 अंक तक

ई-6 स्तर (90000-3%-240000) और उससे अधिक से पदोन्नति योग्यता के आधार पर चयन के आधार पर होगी और कार्यालय जापन दिनांक 23.01.2024 के अनुसार सामान्य वरिष्ठता की गणना की जाएगी।

महाप्रबंधक, कार्यकारी निदेशक और वरिष्ठ ईडी के स्तर पर पदोन्नति निम्नानुसार होगी:

ई-6 से ई-7 के लिए

समग्र मूल्यांकन प्रणाली के निम्नलिखित तीन घटक होंगे:

- क. एपीएआर स्कोर
- ख. क्षेत्र के अनुभव के लिए वेटेज
- ग. साक्षात्कार स्कोर

घटक	अधिकतम स्कोर
एपीएआर* + वरिष्ठता**	24
क्षेत्र का अनुभव@	02
साक्षात्कार	14
कुल	40

आवश्यक न्यूनतम सेवा 4 वर्ष है

साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए पात्र न्यूनतम एपीएआर स्कोर-20

कुल मिलाकर कट ऑफ स्कोर – 31

@ क्षेत्र के अनुभव के लिए, जिन कर्मचारियों के पास एक से अधिक स्थानों पर काम करने का अनुभव है, उन्हें निम्नलिखित मैट्रिक्स के अनुसार 2 तक अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे: -

2 स्थान - 1 अंक

2 से अधिक स्थान – 2 अंक

(अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण को क्षेत्र के अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा)

समग्र कटऑफ स्कोर 31 अंक होगा (कट ऑफ स्कोर न्यूनतम पात्र स्कोर को संदर्भित करता है जो जीएम और उससे ऊपर के पद पर पदोन्नति के लिए साक्षात्कार स्कोर को शामिल करने के बाद योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के पैनल के लिए विचार किया जाना चाहिए)

*अधिकतम 24 अंकों का एपीएआर स्कोर पात्र अवधि के सर्वश्रेष्ठ चार एपीएआर के आधार पर होगा यानी वर्तमान ग्रेड में पूरी अवधि (यदि कर्मचारी के पास पहले से ही सर्वश्रेष्ठ 4 एपीएआर के आधार पर 24 अंक हैं, तो वरिष्ठता के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा)

** 4 वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधा अंक (1/2), अधिकतम 2 अंक तक

ई-7 से ई-8

समग्र मूल्यांकन प्रणाली में निम्नलिखित तीन घटक होंगे:

क. एपीएआर स्कोर

ख. क्षेत्र के अनुभव के लिए वेटेज

ग. साक्षात्कार स्कोर

घटक	अधिकतम स्कोर
एपीएआर* + वरिष्ठता**	24
क्षेत्र का अनुभव@	02
साक्षात्कार	14
कुल	40

* अधिकतम 24 अंकों का एपीएआर स्कोर पात्र अवधि के सर्वश्रेष्ठ चार एपीएआर यानी वर्तमान ग्रेड में पूरी अवधि के आधार पर होगा (यदि कर्मचारी के पास पहले से ही सर्वश्रेष्ठ 4 एपीएआर के आधार पर 24 अंक हैं, तो वरिष्ठता के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा)

** 4 साल से अधिक सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अधिकतम 2 अंक तक आधा अंक (1/2)। (इसलिए, विशेष रूप से 8 वर्ष से अधिक सेवा के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा)

@ 2 वर्ष से कम के क्षेत्र के अनुभव के लिए 1 अंक प्रदान किया जाएगा और 2 वर्ष और उससे अधिक के क्षेत्र के अनुभव के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे

समग्र कटऑफ स्कोर 31 अंक होगा (कट ऑफ स्कोर न्यूनतम पात्र स्कोर को संदर्भित करता है जो जीएम और उससे ऊपर के पद पर पदोन्नति के लिए साक्षात्कार स्कोर को शामिल करने के बाद योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के पैनल के लिए विचार किया जाना चाहिए)

E8 से E-9 (ईडी से सीनियर ईडी)

ईडी से सीनियर ईडी में पदोन्नति के संबंध में, डीपीई द्वारा अनुमोदित एपीएआर प्रारूप 4 साल की अवधि के दौरान संचयी एपीएआर स्कोर से रेटिंग प्रदान करते हैं, जो 1 से 5 के पैमाने पर होगा। इसलिए, अधिकतम केवल 20 हो।

तदनुसार, एपीएआर स्कोर 24 के स्थान पर 20 तक सीमित होगा, जो एपीएआर में अधिकतम स्कोर है और इसी तरह विचार क्षेत्र में आने के लिए 20 के स्थान पर एपीएआर में न्यूनतम स्कोर के रूप में 16 होगा। हालांकि, अन्य घटक समान रहेंगे यानी वरिष्ठता के घटक को अधिकतम के अधीन जोड़ा जाएगा

20. संशोधित स्कोरिंग इस प्रकार होगी:-

घटक	अधिकतम स्कोर
एपीएआर (वरिष्ठता को एपीएआर स्कोर में जोड़ा जाना चाहिए जो अधिकतम 20 के अधीन है)	20
क्षेत्र का अनुभव@	02
साक्षात्कार	14
कुल	36
कट ऑफ स्कोर	27

* अधिकतम 20 अंकों का एपीएआर स्कोर पात्र अवधि के सर्वश्रेष्ठ चार एपीएआर के आधार पर होगा यानी

वर्तमान ग्रेड में पूरी अवधि

(यदि कर्मचारी के पास पहले से ही सर्वश्रेष्ठ 4 एपीएआर के आधार पर 20 अंक हैं, तो वरिष्ठता के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा)

** 4 साल से अधिक सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अधिकतम 2 अंक तक आधा अंक (1/2)। (इसलिए, विशेष रूप से 8 वर्ष से अधिक सेवा के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा)

@ 2 वर्ष से कम के क्षेत्र के अनुभव के लिए 1 अंक प्रदान किया जाएगा और 2 वर्ष और उससे अधिक के क्षेत्र के अनुभव के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे

राजभाषा, सचिव, कंपनी सचिव संवर्गों/विंग आदि में काम करने वाले कार्यपालकों को पदोन्नति के संबंध में सीएमडी फील्ड पोस्टिंग के अवसरों/अवसरों की कमी को देखते हुए मानदंड तय करने के लिए अधिकृत है।

साक्षात्कार की तारीख पर ही कार्यवृत्त को अंतिम रूप दिया जाएगा

16.2. ई-0 स्तर (30000-3%-120000) से ई-3 स्तर (60000-3%-180000 रुपये) तक पदोन्नति पर 16.3.3 के अनुसार पैमाने में पूरी की गई कुल अवधि के दौरान प्राप्त संचयी एपीएआर स्कोर प्राप्त करने पर विचार किया जाएगा।

एग्जीक्यूटिव बैंड यानी ई-1 से ई-3 के भीतर पदोन्नति के लिए योग्यता अवधि वर्तमान ग्रेड में 3 साल की सेवा होगी और प्रबंधकीय और नेतृत्व बैंड के भीतर खंड 16.1 में निर्दिष्ट तौर-तरीकों के साथ वर्तमान ग्रेड में 4 वर्ष की सेवा होगी।

धारी	स्तर	वर्तमान स्तर में पूर्ण सेवा के लिए पात्रता अवधि
कार्यपालक	E1 to E-2, E-2 to E-3 & E-3 to E-4	3
प्रबंधक-संबंधी	E4 to E5, E-5 to E6 & E-6 to E-7	4
नेतृत्व कर्ता	E-7 to E-8, E-8 to E-9	4

16.3.1. खंड 16.3.1 में योग्यता अवधि केवल विशेष संवर्ग में पदों की उपलब्धता के अधीन पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक कर्मचारी की पात्रता निर्धारित करेगी और उसे अधिकार के मामले के रूप में स्वचालित पदोन्नति का हकदार नहीं बनाएगी।

16.3.2. (i) ई-1 स्तर पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रवेश स्तर पर आवश्यक योग्यता वाले कर्मचारियों को अन्य निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के अधीन 15 एपीएआर स्कोर के साथ 3 साल के समय में पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा

(ii) जो कर्मचारी स्नातक/3 वर्षीय डिप्लोमा धारक हैं और जिनके पास ई-1 स्तर पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं है, उन्हें 4 वर्षों में पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा, जिसमें ई-0 से ई-1 तक 20 एपीएआर स्कोर और ई-1 से आगे 20 एपीएआर स्कोर के साथ 5 साल पदोन्नति और पदोन्नति के लिए अन्य निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के अधीन केवल ई-4 स्तर तक होगा।

सचिवीय, वित्त, परियोजनाओं, आईटी और एचआरएमए कैंडर के कर्मचारियों के संबंध में पदोन्नति के उद्देश्य के लिए ई -3 स्तर तक योग्यता मानदंड में छूट / छूट योग्यता के मामले में विभागीय परीक्षा की शुरुआत भी नहीं है जैसा कि कार्यालय आदेश संख्या 519 और 520 दिनांक 07.04.2014 के माध्यम से सूचित किया गया है।

- (iii) रिक्तियों की अनुपलब्धता के मामले में, कर्मचारियों को गैर-कार्यकारी और कार्यपालिका के लिए पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करते हुए 7 वर्षों में उच्च पद के पदनाम और सुविधा के बिना अगले वेतनमान के एकमुश्त अनुदान की अनुमति दी जाएगी। यह सुविधा ई-5 स्तर तक उपलब्ध होगी।

- 16.3.3. कैरियर के विकास के अवसरों की अनुपलब्धता के मामले में, गैर-कार्यकारी ग्रेड में काम करने वाले कर्मचारी को उच्च पद के पदनाम और सुविधा के बिना 10 वर्षों में पूरे कैरियर में दो बार अगला वेतनमान मिलेगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में रियायत - आगे की पदोन्नति के लिए आवश्यक कुल अर्हक एपीएआर अंकों में 5% की छूट।

जो कर्मचारी संशोधित भर्ती विनिर्देशों के लागू होने के समय निगम के रोल पर हैं, वे पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए वर्ष 1994 और 2011 में अधिसूचित प्रचलित योग्यता (आर एंड पी, 1994 के अनुलग्नक 'बी' में दर्शाए गए हैं) द्वारा कवर किए जाएंगे। अनुलग्नक 'ग' में दर्शाए गए संशोधित विनिर्देश भविष्य की सभी भर्तियों के लिए आधार होंगे। इन नियमों में संशोधन के बाद सीधी भर्ती रिक्तियों के खिलाफ आवेदन करने वाले आंतरिक उम्मीदवारों को संशोधित योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा।

- 16.3.5 प्रतिबंध: जो कर्मचारी पोस्टिंग के नए स्थान पर अपनी पदोन्नति पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करता है, वह / वह जहां रिक्ति मौजूद है, उसे पदोन्नति की अवधि में एक वर्ष / दो साल की न्यूनतम अवधि के लिए पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा क्रमशः तीन / चार साल है या जब तक रिक्ति उत्पन्न होती है, जो भी बाद में होता है और अन्य कनिष्ठ / पात्र कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा।

दो साल के लिए औसत एपीएआर स्कोर या एक खराब स्कोर (कार्यकारी अधिकारियों के लिए चार/छह साल की अवधि के भीतर) और गैर-कार्यपालकों के मामले में समग्र प्रतिकूल रिपोर्ट वाले कर्मचारियों को उस विशेष वर्ष के लिए पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा

- 16.3.6. जहां तक संभव हो, नई विनिर्देशों/अर्हता मानदंडों को अपनाने के कारण अस्पष्टताओं को दूर करने और विसंगतियों से बचने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

क. भविष्य की नियुक्तियां और उनकी पदोन्नति नई योग्यता के अनुसार होगी

ख. पेशेवर योग्यता के बिना एक कर्मचारी उपरोक्त तंत्र के साथ सहायक महाप्रबंधक के पद तक अधिकतम जा सकता है,

ग. संशोधन से पहले वर्तमान मानदंडों को पूरा करने वाली योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को 1994 और 2011 की योग्यता के अनुसार पदोन्नत किया जाएगा। हालांकि, यह खंड सीधी भर्ती के लिए उनकी उम्मीदवारी के मामले में लागू नहीं होगा जहां संशोधित योग्यता लागू होगी।

घ. पदोन्नति के उद्देश्य से आंतरिक कर्मचारी पत्राचार के माध्यम से प्रेरण स्तर की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं

ड. कर्मचारियों को स्केल में 10 साल पूरे करने के बाद पदनाम और सुविधाओं को बदले बिना दो बार उच्च पैमाने पर देने के लिए विचार किया जा सकता है और जिनके पास सेवा अवधि में एक बार उच्च विकास की गुंजाइश नहीं है।

16.4. ई-0 स्तर से ऊपर के स्तर तक पदोन्नति को निम्नानुसार माना जाएगा:

स्तर	के लिए पात्रता अवधि वर्तमान ग्रेड में पूर्ण सेवा	योग्य एपीएआर स्कोर
ई-0 से ई-1	4	20
ई-1 से ई-2	3	15
ई-2 से ई-3	3	15
ई-3 से ई-4	3	15
ई-4 से ई-8 स्तर तक	4 (प्रत्येक स्तर पर)	20

17. पर्यवेक्षी और गैर-कार्यपालकों को पदोन्नत करना

- 17.1. ई-0 स्तर (30000-3%-120000 रुपये) के पैमाने तक पदोन्नति वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर होगी।
- 17.2. एनई-1 स्तर पर निगम की सेवा में प्रवेश करने वाले गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को निगम के साथ अपनी सेवा के दौरान कम से कम एक पदोन्नति का अधिकार होगा, बशर्ते कि वे नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्र हों।
- 17.3. एनई-1 से एनई-2 स्तर तक पदोन्नति के लिए अर्हता अवधि 7 वर्ष होगी और एनई-2 से एनई-3, एनई-3 से एनई-4, एनई-4 से एनई-5 और एनई-5 से ई-0 स्तर पर पदोन्नति के लिए योग्यता अवधि 5 वर्ष होगी

17.4. वरिष्ठता के सामान्य सिद्धांत:

17.4.1. सीधी भर्ती पर

- क. सभी सीधी भर्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता योग्यता के क्रम से निर्धारित की जाएगी जिसमें उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिशों पर ऐसी नियुक्ति के लिए चुना जाता है और हुडको इंटरनेट पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
- ख. चयन समिति द्वारा पहले के चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति बाद के चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए लोगों से वरिष्ठ होगा।
- ग. जहां प्रशिक्षु अधिकारियों को नियमित ग्रेड में शामिल होने से पहले एक साक्षात्कार पास करना होता है, सापेक्ष वरिष्ठता वही रहेगी जो मूल रूप से उन्हें सौंपी गई थी।
- घ. जब दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को एक ही परीक्षा / चयन में समान योग्यता के रूप में घोषित किया जाता है, तो उम्र में बड़े उम्मीदवार को वरिष्ठ के रूप में लिया जाएगा।
- ड. सीधी भर्ती में, जब कोई उम्मीदवार नियुक्ति जारी करने की तारीख से तीन महीने (प्रारंभिक ज्वाइनिंग अवधि और उसके बाद अनुमत विस्तार सहित) के बाद ड्यूटी में शामिल होता है, तो उसे चयनित सभी उम्मीदवारों के नीचे रखकर वरिष्ठता का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

एक ही चयन और एक ही पैनल में शामिल किया गया है, जो इयूटी पर रिपोर्ट करने के लिए अनुमत अवधि के भीतर शामिल हुए हैं।

17.4.2. शैक्षिक विषयों/विशेषज्ञता की विभिन्न पृष्ठभूमि वाले कर्मियों को योग्यता/विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले उपयुक्त संवर्ग में शामिल किया जाएगा। एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में परिवर्तन पर सेवा में केवल एक बार विचार किया जा सकता है और जिसके लिए कर्मचारी द्वारा अनुरोध किया जाना चाहिए और उस पर निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले की व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर लिया जाएगा।

नियमित कर्मचारी के संवर्ग में परिवर्तन के अनुरोध पर सीएमडी द्वारा विधिवत गठित चयन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता है, जो दिनांक 29-11-1999 के परिपत्र संख्या हुडको/एचआरडी/99 में निर्धारित शर्तों के अधीन है, जिसके लिए इस आशय का वचन पत्र किसी कर्मचारी द्वारा दिया जाना होता है।

एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में स्थानांतरण पर वरिष्ठता

- क. प्रशिक्षित जनशक्ति के इष्टतम उपयोग और पद और कर्मियों के समान वितरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ताकि हुडको के संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके
- ख. कर्मचारियों के पास चुने गए नए संवर्गों में समकक्ष पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता आदि होनी चाहिए। यदि रिक्तियों की तुलना में आवेदकों की संख्या अधिक है, तो उन आवेदकों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने अपनी संबंधित वरिष्ठता के अलावा हुडको सेवा में अतिरिक्त योग्यता प्राप्त की है। कैडर में परिवर्तन का निर्णय दोनों संवर्गों में पदों की उपलब्धता बनाम मैन-इन-पोजिशन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा
- ग. परिवर्तन की मांग करने वाले अधिकारी नए संवर्ग में अपनी वरिष्ठता की रक्षा करने के हकदार नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नए संवर्ग में लिए जाने की तारीख से बदले हुए संवर्ग में वरिष्ठता की गणना की जाएगी
- घ. मानदंड के रूप में समिति के समक्ष रखे जाने से पहले परिवर्तन के अनुरोध का मूल्यांकन एचआरएमए द्वारा किया जाएगा।
- ड. कर्मचारी बदले हुए कैडर में समकक्ष पद पर एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा। परिवीक्षा अवधि के दौरान असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में, कर्मचारी को या तो आगे की विस्तारित अवधि पर काम करने या अपने मूल कैडर में वापस जाने के लिए तैयार होना चाहिए।
- च. संवर्ग में बदलाव की अनुमति देने पर कर्मचारी नए कैडर में सबसे जूनियर हो जाएगा।
- छ. मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन के मामले में, कर्मचारी की वरिष्ठता वही रहेगी जैसी कि यह थी, उसी में जारी रखी गई थी

17.4.3. निचले ग्रेड या पद में कमी पर

क. यदि निचले ग्रेड या पद में कटौती का जुर्माना निर्दिष्ट अवधि के लिए है, तो उसके बाद कर्मचारी का मूल पद पर प्रत्यावर्तन स्वचालित होगा और मूल ग्रेड में उसकी वरिष्ठता तय की जाएगी, जिस पर यह कटौती के लिए थी।

ख. एक अनिर्दिष्ट या अनिश्चित अवधि के लिए एक उच्च ग्रेड या पद से कटौती पर, निचले ग्रेड में कर्मचारी की वरिष्ठता उस स्थिति के संदर्भ में तय की जाएगी जिसके लिए वह हकदार होगा, लेकिन उच्च ग्रेड या वर्ग में उसकी पदोन्नति के लिए जहां से उसे कम कर दिया गया था।

17.4.4. प्रतिनियुक्तिवादियों की वरिष्ठता

प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त और बाद में निगम की सेवाओं में अवशोषित व्यक्ति की वरिष्ठता उस तारीख से निर्धारित की जाएगी जब वह एक विशिष्ट ग्रेड में प्रतिनियुक्ति पर आया था।

17.4.5. सभी संवर्गों की वरिष्ठता सूची और करियर प्रबंधन कॉर्पोरेट कार्यालय में एचआरएमए विंग की जिम्मेदारी होगी।

17.4.6. वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन : आपत्ति

वरिष्ठता सूचियों को हुडको इंटरनेट पर पोस्ट किया जाएगा और आपत्ति, यदि कोई हो, को विचार के लिए एचआरएमए विंग को भेज दिया जाएगा।

18. उन कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और दिशानिर्देश जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक/अदालती कार्यवाही लंबित है या जिनके आचरण की जांच की जा रही है।

उन कर्मचारियों के मामले जिन पर सीलबंद कवर प्रक्रिया लागू होगी।

पदोन्नति के लिए कर्मचारियों के मामलों पर विचार करते समय, निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र में कर्मचारियों का विवरण विशेष रूप से विभागीय पदोन्नति समिति के ध्यान में लाया जाएगा:

- क. निलंबित कर्मचारी;
- ख. जिन कर्मचारियों के संबंध में आरोप पत्र जारी किया गया है और अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है; तथा
- ग. जिन कर्मचारियों के संबंध में आपराधिक आरोप के लिए अभियोजन लंबित है।

उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया समय-समय पर शासन से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार होगी।

जुर्माने की मुद्रा के दौरान विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही - विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही सामान्य रूप से एक कर्मचारी के लिए चल रही दंड के तहत होगी। हालांकि, चूंकि कर्मचारी दंड के अधीन है, इसलिए उसे दंड की मुद्रा के दौरान पदोन्नत नहीं किया जाएगा, भले ही विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा फिट पाया जाए

अनुशासनात्मक मामलों/आपराधिक अभियोजन के पूरा होने के बाद कार्रवाई: अनुशासनात्मक मामले/आपराधिक अभियोजन के समापन पर, जिसके परिणामस्वरूप कार्यपालिका के खिलाफ आरोप हटा दिए जाते हैं, सीलबंद कवर या कवर खोला जाएगा। यदि कार्यपालिका को पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो उसकी पदोन्नति की नियत तारीख सीलबंद कवर/कवर में रखे गए निष्कर्षों में उसे सौंपे गए पद के संदर्भ में और ऐसी स्थिति के आधार पर उसके अगले कनिष्ठ की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। उसे अपने जूनियर की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया जा सकता है। हालांकि, क्या संबंधित कार्यपालिका वास्तविक पदोन्नति की तारीख से पहले की काल्पनिक पदोन्नति की अवधि के लिए वेतन के किसी भी बकाया का हकदार होगा और यदि हां, तो किस हद तक, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों/आपराधिक अभियोजन के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा। जहां प्राधिकरण वेतन या उसके हिस्से के बकाया से इनकार करता है, वह ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा।

यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई जुर्माना लगाया जाता है या यदि वह उसके खिलाफ आपराधिक अभियोजन में दोषी पाया जाता है, तो सीलबंद लिफाफे/कवर के निष्कर्षों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। पदोन्नति के लिए उसके मामले पर अगली विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सामान्य रूप से विचार किया जा सकता है और उस पर लगाए गए जुर्माने को ध्यान में रखते हुए

19. सामान्य शर्तें

- 19.1. कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक नहीं है, को निगम में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि किसी भी कारण से, किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना वांछित है जो भारतीय नागरिक नहीं है, तो नियुक्ति का प्रस्ताव केवल निगम के निदेशक मंडल के पूर्व अनुमोदन के साथ किया जाएगा।
- 19.2. कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसे पहले निगम की सेवा से या राज्य या केंद्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या एक स्वायत्त निगम से बर्खास्त, हटा दिया गया है या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है। इसके अलावा, निगम के जिन कर्मचारियों ने निगम की सेवा से इस्तीफा दे दिया है, वे भी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।
- 19.3. कोई भी व्यक्ति उस नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए कानून की अदालत में दोषी ठहराया गया है
- 19.4. कोई भी उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पति-पत्नी जीवित हैं या जिनके पति या पत्नी के साथ एक और विवाह होता है, जो ऐसे पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान होने के कारण शून्य है, निगम में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, सिवाय इसके कि जहां इसके कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के नियमों के तहत इसकी अनुमति दी जा सकती है।
- 19.5. सभी मौजूदा आदेश, परिपत्र, दिशानिर्देश उस सीमा तक लागू रहेंगे जब तक कि संशोधित आर एवं पी नहीं हो जाता।
- 19.6. पदों का सृजन/पदों का उन्नयन बोर्ड के अनुमोदन से पूर्व किया जाएगा। तथापि, सीएमडी को डीजीएम स्तर (ई-5 स्तर) तक पदों का उन्नयन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। ई-7 और उससे ऊपर के पदों के सृजन के लिए, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

अनुलग्नक- "ए"				
सीधी भर्ती और विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कोटा			के पदोन्नति	सेवा
वैतनमान (रुपये में)	पदनाम	के लिए कोटा पदोन्नति %	लिए के लिए कोटा भर्ती (प्रेरण) %	मेरे
19500-65000 एनई-1	अटेंडेंट फराश, चौकीदार, माली	-	100	
21000-70000 एनई-2	अटेंडेंट फराश (एसजी), चौकीदार (एसजी),	100	--	
22000-75000 एनई-3	सहायक। जीआर.III, ईडीपी सहायक। ग्रेड.III, ड्राइवर Gr.III इलेक्ट्रीशियन Gr.III, हिंदी टाइपिस्ट	10	90	
24000- 80000 एनई-4	सहायक। Gr.II EDP सहायक। ग्रेड II, ड्राइवर ग्रेड II, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड II,	100	--	
	स्टेनोग्राफर ग्रेड III	25	75	
26000-87000 एनई-5	सहायक। जीआरआई, ड्राइवर जीआरआई, इलेक्ट्रीशियन जीआरआई, रिसेप्शनिस्ट-सह-टेलीफोन ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड II, विकास बिक्री सहायक	100	-	
	इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सहायक।	100	100	
	हिंदी अनुवादक	--	100	
	डिजाइन सहायक/पर्यावास इंजीनियर		100	
30000-120000 ई-0	सहायक प्रबंधक	100	--	
40000-140000 ई-1	उप प्रबंधक (अनुशासन)	25	75	
	सहायक कंपनी सचिव, उप प्रबंधक (कानून), उप प्रबंधक (परियोजनाएं)	--	100	

सीधी भर्ती के लिए पदों, वेतनमान, अनुभव और आयु का संकेत देने वाली अनुसूची

सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए कोटा:

क्रम नहीं।	के बाद	स्तर और वेतनमान	कोटा भर्ती के लिए	कोटा पदोन्नति के लिए
1.	वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक	ई-9 150000-3%-300000	निगम की आवश्यकता के अनुसार सीधी भर्ती/पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा	
2.	कार्यकारी निदेशक	ई-8 120000-3%-280000	40%	60%
3.	महाप्रबंधक	ई-7 100000-3%-260000	25%	75%
4.	संयुक्त महाप्रबंधक	ई-6 90000-3%-240000	25%	75%
5.	उप महाप्रबंधक	ई-5 80000-3%-220000	25%	75%
6.	बिक्री सहायक महाप्रबंधक	ई-4 70000-3%-200000	25%	75%
7.	वरिष्ठ प्रबंधक	ई-3 60000-3%-180000	25%	75%
8.	प्रबंधक	ई-2 50000-3%-160000	25%	75%
9.	उप प्रबंधक	ई-1 40000-3%-140000	75%	25%

पोस्ट क्वालिफिकेशन अनुभव

क्रम नहीं।	पोस्ट / स्तर	अनुभव	अधिकतम आयु
1.	वरिष्ठ ईडी (ई -9)	25	न्यूनतम - 50 और अधिकतम - 55
2.	ईडी- (ई-8)	20	52
3.	महाप्रबंधक (ई -7)	17	50
4.	संयुक्त महाप्रबंधक - (ई -6)	14	48
5.	उप महाप्रबंधक - (ई -5)	11	45
6.	सहायक महाप्रबंधक - (ई -4)	07	40
7.	वरिष्ठ प्रबंधक - (ई -3)	05	35
8.	प्रबंधक - (ई -2)	03	30
9.	उप प्रबंधक - (ई -1)	शून्य	28
10.	सहायक प्रबंधक (ई-0)	कोई सीधी भर्ती नहीं	

आयु और अन्य पात्रता मानदंड कैलेंडर महीने की 1 तारीख के रूप में गिना जाएगा जिसमें पदों को अधिसूचित / विज्ञापित किया जाता है

ई -1 स्तर को छोड़कर सभी पदों के लिए, कार्यकारी संवर्ग में प्रासंगिक अनुभव में बाहरी लोगों के लिए तत्काल निचले पैमाने पर न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव और वरिष्ठ ईडी के लिए आंतरिक उम्मीदवारों को तत्काल निचले पैमाने पर 2 वर्ष का अनुभव शामिल होना चाहिए।

	संवर्ग	योग्यता	पोस्ट क्वालिफिकेशन अनुभव
1	परियोजना ओं	क) इंजीनियरिंग स्टीम – सिविल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल / केमिकल / एएमआईई आदि में स्नातक की डिग्री। अन्य धाराएँ - • आर्किटेक्ट - आर्किटेक्चर / एआईआईए में बैचलर डिग्री पसंदीदा: आर्किटेक्चर से संबंधित किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा /नागरिक शास्त्र ग) प्लानिंग - बैचलर डिग्री/मास्टर्स डिग्री या पीजी डिप्लोमा इन प्लानिंग (मास्टर्स के साथ इंजीनियरिंग/आर्किटेक्चर में डिग्री या प्लानिंग में पीजी डिप्लोमा वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं) d) वैल्यूएशन - मूल्यांकन में मास्टर डिग्री के साथ बीई (सिविल) या बी.आर्क - रियल एस्टेट e) • सीएसआर - सीएसआर में विशेषज्ञता के साथ एमबीए / पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (2 साल पूर्णकालिक) / f) जीआईएस - 2 साल की पीजी डिग्री/डिप्लोमा में पृथ्वी कासूचना विज्ञान /जीआईएस • वांछनीय - वित्त में विशेषज्ञता के साथ 2 साल का एमबीए / पीजी डिप्लोमा	नहीं। परियोजना मूल्यांकन, योजना, डिजाइन, निर्माण, निगरानी जैसे प्रासंगिक क्षेत्रों में योग्यता के बाद के अनुभव (भरे जाने के स्तर के आधार पर) के वर्षों के वर्षों, परामर्श आदि। नहीं। प्रासंगिक क्षेत्रों में योग्यता के बाद के अनुभव (भरे जाने वाले स्तर के आधार पर) के वर्षों के
2	वित्त	सीए / सीएमए / एमबीए / पीजी डिप्लोमा (2 वर्ष पूर्णकालिक) वित्त में विशेषज्ञता के साथ	नहीं। संसाधन जुटाने/लेखा और कराधान/लेखा परीक्षा जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा / ऋण और वसूली प्रबंधन / ऋण मूल्यांकन एक्सपोजर जैसे प्रासंगिक क्षेत्रों में योग्यता के बाद के वर्षों के अनुभव (भरे जाने वाले स्तर के आधार पर), जोखिम प्रबंधन और अनुपालन आदि।

3	एचआरएमए	एमबीए (एचआर) / 2 साल पीजीडी (एचआर / पीएम / आईआर में विशेषज्ञता के साथ) / एमएचआरएम / परास्नातक में कर्मिक प्रबंधन। वरीयता: कानून में डिग्री	नहीं। जनशक्ति योजना, भर्ती, प्रशिक्षण, स्थापना, खरीद, प्रशासन से संबंधित गतिविधियों आदि जैसे प्रासंगिक क्षेत्रों में योग्यता के बाद के अनुभव (भरे जाने के स्तर के आधार पर) के वर्षों के लिए।
4	सूचना प्रौद्योगिकी	कंप्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री सूचना प्रौद्योगिकी (नेटवर्क और सूचना सुरक्षा) (आईटीएनएस), सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) (आईआईओटी), सूचना प्रौद्योगिकी (नेटवर्क और सूचना सुरक्षा) (आईटीएनएस), सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग (एसई), गणित और कंप्यूटिंग (एमसीई / मैक) / सिस्टम / कंप्यूटर एप्लीकेशन या एमसीए या कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी / सिस्टम के साथ स्नातकोत्तर डिग्री	नहीं। ईआरपी कार्यान्वयन, आईटी सुरक्षा, आईटी बुनियादी ढांचा नीति निर्माण, ओरेकल विकास उपकरण आदि जैसे प्रासंगिक क्षेत्रों में योग्यता के बाद के अनुभव (भरे जाने वाले स्तर के आधार पर) के वर्षों के लिए।
5	नियम	कानून में स्नातक की डिग्री (एलएलबी)। वरीयता: कानून में परास्नातक डिग्री (एलएलएम)	नहीं। प्रारूपण, संविदाओं के संवहन और संवीक्षा, गारंटी विलेख, बंधक विलेख, कंपनी और श्रम कानूनों, संपत्ति के हस्तांतरण आदि जैसे प्रासंगिक क्षेत्रों में योग्यता के बाद के अनुभव (भरे जाने वाले स्तर के आधार पर) के वर्षों की संख्या।
6	कंपनी सचिव	कंपनी सचिवों के संस्थान की एसोसिएट सदस्यता भारत। वरीयता - कानून की डिग्री	नहीं। (ख) कंपनी अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत सांविधिक अनुपालन सहित कंपनी कानून, कारपोरेट और सचिवीय कार्य जैसे संगत क्षेत्रों में अर्हताोत्तर अनुभव (भरे जाने वाले स्तर के आधार पर) के वर्षों के अनुभव के आधार पर, डीपीई, सेबी और अन्य संगत कॉर्पोरेट कानून आदि।
7	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र या व्यावसायिक अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर।	नहीं। आर्थिक विश्लेषण और नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण, अनुसंधान और विश्लेषणात्मक कौशल आदि जैसे प्रासंगिक क्षेत्रों में योग्यता के बाद के अनुभव (भरे जाने वाले स्तर के आधार पर) के वर्षों के लिए।
8	कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन आयन	पीआर विशेषज्ञता में एमबीए / पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (2 साल पूर्णकालिक) पत्रकारिता/जनसंचार।	नहीं। मीडिया प्रबंधन, संचार, लेखा परीक्षा, कार्यक्रमों के आयोजन जैसे प्रासंगिक क्षेत्रों में योग्यता के बाद के अनुभव (भरे जाने वाले स्तर के आधार पर) के वर्षों के वर्षों, पुरस्कार, पीआर रणनीति और ब्रांड निर्माण के लिए संगठन आदि।

9	राजभाषा	स्नातक स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर	नहीं। राजभाषा अधिनियम और नियमों आदि के प्रावधानों के कार्यान्वयन जैसे प्रासंगिक क्षेत्रों में योग्यता के बाद के अनुभव (भरे जाने वाले स्तर के आधार पर) के वर्षों की संख्या में वृद्धि हुई है।
---	---------	--	--

उपरोक्त सांकेतिक नौकरी विवरण हैं जिन्हें सीएमडी के अनुमोदन से विभाग की नौकरी/आवश्यकता के आधार पर इंडेंट विभाग के साथ वास्तविक भर्ती शुरू करने से पहले तैयार किया जाएगा।

नोट: 1. सभी डिग्री, डिप्लोमा को एआईसीटीई / यूजीसी / भारत सरकार / अधिनियम / किसी भी सरकारी निकाय या प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त / मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी के लिए आयु/अनुभव में आरक्षण सरकार के नियमों के अनुसार होगा
3. *सीए/सीएस/सीएमए को छोड़कर सभी विषयों के लिए आवश्यक योग्यता में 60% अंकों या समकक्ष सीजीपीए / ग्रेड का बेंचमार्क स्कोर*
4. *वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक स्तर के लिए भी भर्ती कार्रवाई शुरू होने और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के आधार पर योग्यता तय की जाएगी*

इंडक्शन स्तर पर गैर-कार्यकारी के लिए योग्यता

संवर्ग/पद	निर्धारित योग्यता	अनुभव	आयु (में वर्ष)
परियोजनाएं/हब इंजीनियरिंग।	सिविल इंजीनियरिंग / आर्किटेक्चर / पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	-	30
आईटी / ईडीपी सहायक ग्रे. III	कंप्यूटर एप्लीकेशन/प्रोग्रामिंग में एक साल के डिप्लोमा के साथ स्नातक	-	30
राजभाषा/हिंदी अनुवादक	स्नातक स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर। पसंदीदा: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अनुवाद में डिप्लोमा।	अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में 2 साल का अनुभव और इसके विपरीत। राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के प्रावधान का कार्यान्वयन	30
सचिवीय/एस जी-III (हिंदी)	शॉर्टहैंड में 100w.p.m. की गति के साथ स्नातक 40 w.p.m. कंप्यूटर संचालन में प्रवीणता के साथ टाइपिंग में	-	30
सचिवीय/ एसजी-III (अंग्रेजी)	शॉर्टहैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ स्नातक कंप्यूटर संचालन में दक्षता के साथ टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट	-	30
ड्राइवर ग्रेड III	मोटर कार/एलएमवी के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ¹⁰ वीं कक्षा	ड्राइवर के रूप में 5 साल का अनुभव	30
सामान्य लिपिक (AG-III)	40 की टाइपिंग गति के साथ स्नातक अंग्रेजी में डब्ल्यूपीएम हिंदी टाइपिंग के ज्ञान को प्राथमिकता दी जाएगी।	-	30
वित्त/एजी-III	कंप्यूटर पर काम करने के अनुभव के साथ B.Com। वरीयता - खातों के रखरखाव का अनुभव होना।	-	30
सामान्य सर्विसेज/वायुसेना	10 ^{वीं} कक्षा पास	-	30



**हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
कोर-7ए, आईएचसी, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003.**

फा.सं. 11(158)/2025-एचआर (ई-3284)

दिनांक: 07.10.2025

कार्यालय ज्ञापन

ई-5 स्तर तक के कर्मचारियों में पदोन्नति में ठहराव की समस्या को दूर करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 308/2025 दिनांक 11 जुलाई, 2025 के माध्यम से एक समिति का गठन किया गया था, ताकि पदों के उन्नयन के लिए एक समान नीति की सिफारिश की जा सके, जिसका उद्देश्य करियर में आगे बढ़ने के और अवसर प्रदान करता है। तदनुसार, समिति ने निम्नलिखित सिफारिशों की है:

1. यदि कोई कर्मचारी निर्धारित पात्रता अवधि (जैसे कि कट-ऑफ तिथि तक 3 वर्ष (पात्रता) साथ ही 2 वर्ष (अतिरिक्त) से दो वर्ष अधिक समय तक एक ही ग्रेड में कार्यरत रहता है, तो उसे ठहराव की स्थिति में माना जाएगा। यह नियम सभी कैडरों पर लागू होगा।
2. अनुसंधान एवं विकास नियमों के खंड 19.6 के अनुसार, "पदों का सृजन/उन्नयन एचयूडीसीओ अनुसंधान एवं विकास नियमों के खंड 19.6 के अनुसार किया जाएगा, जिसके तहत सीएमडी को डीजीएम स्तर (ई-5 स्तर) तक पदों को उन्नत करने का अधिकार है।"

हालांकि, पदोन्नति संबंधी उपरोक्त आर एवं पी नियमों के संदर्भ में, समिति अनुशंसा करती है कि ठहराव को भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले मानदंडों में से एक माना जा सकता है। तदनुसार, जहां भी दो (2) वर्ष की ठहराव अवधि पूरी हो जाती है और पदधारी को डीपीसी द्वारा पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया जाता है, सक्षम प्राधिकारी इसके लिए शक्तियों का प्रयोग करने पर विचार कर सकता है।

उपरोक्त अनुशंसाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया गया है और तदनुसार, अब से यह ई-5 स्तर तक के कर्मचारियों की प्रगति में ठहराव को दूर करने के लिए सभी संवर्गों पर लागू होगा।

(प्रभजोत सिंह मक्कड़)
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

सभी संबद्ध